राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 256/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :—13.11.2024

1. गोवर्धन आ0 रामकरण जाति धाकड निवासी दबलाना जिला बून्दी राज0।
2. चतुभुर्ज आ0 रामकरण जाति धाकड निवासी दबलाना जिला बून्दी राज0।
3. मोहनलाल आ0 रामकरण जाति धाकड निवासी दबलाना जिला बून्दी राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. रामसहाय उर्फ पप्पू आ0 रामकरण जाति धाकड निवासी दबलाना जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.
3. राजस्थान राज्य जर्ये उप—पजीयंक नायब तहसीलदार, दबलाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

निर्णय

दिनांक :— 25/08/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि नया खाता संख्या 809 रकबा 0.1619 हैक्टेयर वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना उप तहसील दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है और प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। ग्राम दबलाना की जमाबंदी संवत 2076—2079 के खाता संख्या 567 पुराना 545 के खसरा संख्या 3191/823 रकबा 0.6556 हैक्टेयर स्थित है जिसका खातेदार कृषक अप्रार्थी क्रम संख्या 1 है। पूर्व में प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि एक ही थी। उक्त भूमियां पक्षकारों को जरिए बक्शीश प्राप्त हुई है और बक्शीशकर्ता ने जहां पर पक्षकारों को उक्त भूमि का हिस्सा व कब्जा संभलाया था वहां पर काबिज है। वर्तमान में डी आई एल एम की योजना के तहत हिण्डोली क्षेत्र में तरमीम की गई है जिसमें उक्त दोनों खसरा नम्बरों की भी तरमीम नक्शे में की गई है। उक्त योजना में तरमीम कब्जे अनुसार नहीं की गई है। प्रार्थीगण को बक्शीश में दी गई भूमि पर उनके मकान भी बने हुए है। उक्त भूमि नक्शे में दक्षिण साईड कर दी गई थी जिसे नक्शा ट्रेस में डॉट—डॉट करके बताया गया है और उत्तरी साईड की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की थी जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

क्रम संख्या 1 काबिज है। गलत तरमीम के कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे दुरूस्त करने के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया और तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया। तरमीम दुरूस्ती के लिए दोनों पक्ष सहमत है। अंतिम बार दिनांक 04.11.2024 को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए निर्देशिवत किया यही वाद कारण है। प्रार्थीगण वर्तमान तरमीम को दुरूस्त करवाकर नक्शे में अपनी तरमीम उक्त खसरा नम्बर से दक्षिणी साईड डॉट डॉट की गई हिस्से पर रकबे के अनुसार करवाने के एवं अप्रार्थी संख्या 1 की तरमीम उत्तरी ओर करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर योजना के तहत की गई तरमीम को दुरूस्त कर उपरोक्त वर्णित प्रकार से तरमीम किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कब्जे अनुसार तरमीम किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार ने मुताबिक जॉच रिपोर्ट के तरमीम दुरूस्त किया जाना अपेक्षित होना अंकित किया है।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय नायब तहसीलदार, दबलाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :–राजस्व/25/1110 दिनांक 18.06.2025 अनुसार खसरा संख्या 3191/823 की भूमि जो कि अप्रार्थी रामसहाय के नाम खातेदारी में दर्ज है, की तरमीम राजस्व नक्शे में पुख्ता नहीं है उक्त तरमीम डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना अन्तर्गत ऑनलाईन नक्शे में की गई है, जो वर्तमान कब्जे व मौके अनुसार सही नहीं है, जिसकों प्रस्तावित नक्शे अनुसार किया जाना अपेक्षित है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 823 जो प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है कि तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना के खसरा संख्या 3191/823 की तरमीम अप्रार्थी के कब्जे अनुसार नहीं होने से प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 567** के खसरा संख्या 3191/823 व **खाता संख्या 809** के खसरा संख्या 823 वाके ग्राम दबलाना पटवार मण्डल दबलाना की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः **खाता संख्या 567** के खसरा संख्या 3191/823 व **खाता संख्या 809** के खसरा संख्या 823 की तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे अनुसार व नायब तहसीलदार दबलाना के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

([illegible] मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446